(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2320–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नेपानगर जिला बुरहानपुर, प्रकरण कमांक 129/अ–12/2014–15

.....

शकुन्तलाबाई तोमर पति सुरेन्द्रसिंह तोमर
निवासी बी–1/5 नेपानगर जिला बुरहानपुर
वर्तमान निवासी 50–ए विशालनगर अन्नापूर्णा रोड
इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

मंगलाबाई पति निवृत्ति महाजन
निवासी बुधवारा मार्केट एरिया नेपानगर
एवं कृषक ग्राम भातखेडा तहसील नेपानगर
जिला बुरहानपुर

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ0पी0शर्मा एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषकगण–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा उसके स्वत्व की भूमि ग्राम भातखेडा स्थित सर्वे क्रमांक 29/1 रकबा 2.00 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 5–6–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही स्थायी सीमाचिन्हों से नहीं की गई है और मौके पर फील्डबुक भी तैयार नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही पडोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सीमांकन कार्यवाही पर विचार नहीं कर केवल यह उल्लेख करते हुये आदेश पारित किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया गया है तदोपरांत प्रकरण समाप्त । इस आधार पर कहा गया कि उक्त आदेश संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत पारित आदेश की परिधि में नहीं आता है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदक को सूचना देकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है और यह भी कहा गया कि सीमांकन में पडोसी कृषकों को सूचना दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया जाकर विधिवत् फील्डबुक तैयार की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदिका के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण प्रचलित है जिसे लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को भेजे

गये नोटिस में काटपीट की गई है । आवेदक को नोटिस की तामीली सही ढॅग से नहीं होना पाया जाता है । सीमांकन कार्यवाही में फील्डबुक व नक्शा आदि संलग्न नहीं किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय का सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को दोबारा सीमांकन किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में दोबारा सीमांकन करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर